an>

Title: Regarding the issue of running commentary made by Judges of High Courts during the hearing process.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष जी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि कांस्टीट्यूशन में हमारे संविधान निर्माताओं ने सैपरेशन ऑफ पावर्स की व्यवस्था की है। लैजिस्लेचर की अलग पावर्स हैं, एक्ज़ीक्यूटिव की अलग पावर्स हैं और ज्यूडीशियरी की अलग पावर्स हैं। वर्तमान दिनों में ज्यूडीशियरी के जजेज़, ज्यूडीशियल प्रोसैस के दौरान सुनवाई करते समय रनिंग कमैंट्री करते हैं और वह कानून बन जाता है। वे यह कहते हैं कि आर्टिकल 141 के तहत This is the law of the land. मेरे हिसाब से यह बिल्कुल गलत परंपरा है, गलत ट्रेडीशन है। संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ज्यूडीशियरी के लोग, चाहे हायर ज्यूडीशियरी हो या लोअर ज्यूडीशियरी हो, सुनवाई करने के दौरान किसी पर भी कोई रनिंग कमैंट्री करें। कोई कमैंट्री करें तो अलग तरह से कर सकते हैं। किसी संवैधानिक संस्था पर रनिंग कमैंट्री न करें और वैसे भी संवैधानिक पदों पर, जो हाइयैस्ट लैवल पर बैठा है, उस पर भी वे रनिंग कमैंट्री कर देते हैं और फिर वे कहते हैं कि आर्टिकल 141 के तहत यह लॉ ऑफ द लैंड है, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) खड़गे साहब, मैं इसमें पोलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : बैलेन्स होना चाहिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं एक संवैधानिक मुद्दा उठा रहा हूँ कि कानून तीन तरह से बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति जी भी आर्डिनैन्स के माध्यम से कानून बना सकते हैं, ज्यूडीशियरी वाले भी कोई इंटरप्रेटेशन के तहत कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का मुख्य काम इस संसद का है और ज्यूडीशियरी वाले आजकल यह कहने लग गए हैं कि कानून हम बना रहे हैं। यह गलत दिशा में देश जा रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इससे दो ट्रेडीशन बन रही हैं, हायर कोर्ट में भी बन रही है और लोअर कोर्ट में भी बन रही है। यह जो रनिंग कमेंट्री की ट्रेडीशन बन रही है, वे कहते हैं कि रनिंग कमैंट्री के दौरान बोला हुआ वाक्य कानून बनता जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

दूसरा जो मुद्दा उन्होंने ज्यूडीशियल रिव्यू का उठाया, ज्यूडीशियल रिव्यू 9th शैडयूल में पहले संसद ने डाला था। 9th शैडयूल ज्यूडीशियल रिव्यू में नहीं आता। अब कोर्ट कह रही हैं कि ज्यूडीशियल रिव्यू दो तो 9th शैडयूल भी हम कर रहे हैं। यहाँ तक भी ठीक है। राष्ट्रपति भी ज्यूडीशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं, यह रनिंग कमेंट्री में कहा गया, यह डिसीज़न में नहीं कहा गया। हमारा यह कहना है कि ज्यूडीशियरी वाले जजेज़ का हम सम्मान करते हैं लेकिन रनिंग कमैंट्री के माध्यम से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, चाहे संसद हो, चाहे राष्ट्रपति हो या स्पीकर हो, उसके लिए किसी प्रकार का कोई कमैंट नहीं करें और कोर्ट अपने आप कानून बनाना तय नहीं करें। इस संसद को ही यह अधिकार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि रनिंग कमैंट्री पर रोक लगनी चाहिए। यह रनिंग कमैंट्री किस सीमा तक है, यह तय होना चाहिए और यह संसद तय करे, कोर्ट तय नहीं करे, यही मैं कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष :

श्री पी.पी.चौधरी,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

श्रीमती कोथापल्ली गीता,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री सी.पी.जोशी,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री देवजी एम. पटेल,

डॉ. सत्यपाल सिंह,

श्री अश्विनी कुमार चौबे,

श्रीमती मीनाक्षी लेखी,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री उदय प्रताप सिंह,

श्री रोड़मल नागर एवं

श्री सुनील कुमार सिंह को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविन्द सावंत।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। Nothing will go on record.

â€¦(*Interruptions*)â€¦ *